



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271426
CG-DL-E-30032026-271426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1591]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1591]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1656(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' (पैन: AAALC0595J) जो चंडीगढ़ प्रशासन, श्रम विभाग द्वारा स्थापित एक बोर्ड है को उस बोर्ड को प्राप्त होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अंतर्गत उपकर संग्रहण
 - लाभार्थियों द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत अदा किया गया अंशदान (चाहे किसी भी नाम से संबोधित किया जाए, जैसे पंजीकरण शुल्क या वार्षिक सदस्यता आदि); और
 - बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना 'चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगा -
- किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
 - इसके क्रियाकलाप और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय का रिटर्न दाखिल करेगा।

- 2.1 इन शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इन अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और यह वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 44/2026/फा. सं. 300196/92/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से [सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से] किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1656(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Chandigarh Building and Other Construction Workers Welfare Board' (PAN: AAALC0595J), a Board established by the Chandigarh Administration, Labour Department, in respect of the following specified income arising to that board, namely:-

- Cess collection under the Building And Other Construction Worker's Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996)
- Contribution paid by the beneficiaries (whether by any name called i.e. registration fees or yearly subscription etc.) under the Buildings And Other Construction Workers (Regulation of Employment And Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996); and
- Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Chandigarh Building and Other Construction Workers Welfare Board'-

- shall not engage in any commercial activity;
- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment year 2024-25 to 2025-26 relevant for the financial year 2023-24 to 2024-25 and shall be applicable for assessment year 2026-27 to 2028-29 relevant for the financial year 2025-26 to 2027-28.

[Notification No. 44 /2026/F.No.300196/92/2024-ITA-1]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [from the year of its application made before the CBDT/ Income-tax Department] to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271421
CG-DL-E-30032026-271421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1588]

नई दिल्ली सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1588]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1653(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे "आयकर अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड' (पैन: AAATK1305J), (एतश्मिन् पश्चात् जिसे "निर्धारिती" से संदर्भित किया गया है), कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 1966 का 18) के अंतर्गत गठित एक बोर्ड, को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्य से कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 1966 का 18) के तहत स्थापित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 41/2026 फा. सं.300195/54/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/ आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies the ‘Karnataka Industrial Areas Development Board’ (PAN: AAATK1305J) (hereinafter referred to as “the assessee”), a board constituted under the Karnataka Industrial Areas Development Act, 1966 (Karnataka Act No. 18 of 1966), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be a board constituted under the Karnataka Industrial Areas Development Act, 1966 (Karnataka Act No. 18 of 1966), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 41/2026/F. No. 300195/54/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (from the year of its application made before the CBDT/ Income-tax Department) to this notification